



कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-८३४००२, Phone-०६५१-२४८१९०९ (O) / २४८०४१३ (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५बी०स्था०व्य० / वनकृप-०९(२०१७-१८) ७२४

दिनांक: २१.२.१८

प्रेषकः

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू मेदिनीनगर।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-१९, मुख्य शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, ०१-वानिकी,, १०१-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण "०३- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक-२९/
बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक २७.०२.२०१७।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "०३- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल रु० 1.231 लाख रु० की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-२९/ बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक २७.०२.२०१७ तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक १७.०४.१९९८ के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३/ १८०० दिनांक १५.०७.२००३ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन के मांग के आलोक में दी जा रही है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या—BPAEFC/03-17-18/10EFC की मूल प्राप्त
अत्र—सह—संलग्न है।
अनु०—यथो०।

विश्वासमाजन,

२-~~मार्च~~ अप्र०

प्रधान मुख्य वन सरक्षक,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

आरखड सरकार

(Signature)

Forest, Environment and Climate Change Department

यात्रा वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नालिखित दशों गए बजट शीर्ष के सामने अकिल राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BPAEFC/03-17-18/10EFC

दिनांक -

20-Feb-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101030101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृपों की स्थापना 01 - बेतन एवं भत्ते 01 - बेतन Establishment Expenditure	97655	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	48,100.00 रुपये अड्डालीस हजार एक सौ
2	S 19 240601101030213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृपों की स्थापना 02 - यात्रा भत्ते 13 - देशीय यात्रा भत्ता Establishment Expenditure	97656	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	20,000.00 रुपये चौस हजार
3	S 19 240601101030315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय Establishment Expenditure	97657	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
	रोग:			93,100.00
	क्रमिक रोग:	रुपये तिरनावे हजार एक सौ		

(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND, Ranchi
Principal Chief Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101030333 2406 - बाणिजी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यव 33 - दूरभाष Establishment Expenditure	97660	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	10,000.00 रुपये दस हजार
5	S 19 240601101030334 2406 - बाणिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यव 34 - वकी Establishment Expenditure	97663	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	20,000.00 रुपये चौस हजार
योग:				30,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक लाख लेइस हजार एक सौ			123,100.00

(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI,

Principal Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi